

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 348(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 11 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 676(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा न्यास, 38, वासू अपार्टमेन्ट, नवरंग उच्च विद्यालय मार्ग, अहमदाबाद-380013 द्वारा अहमदाबाद/साबरकांथा गुजरात में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से आगे चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवा न्यास, 38, वासू अपार्टमेन्ट, नवरंग उच्च विद्यालय मार्ग, अहमदाबाद-380013 द्वारा अहमदाबाद/साबरकांथा गुजरात में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्ष की आगे की अवधि के लिए मात्र अट्ठारह लाख पच्चीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 63-2003/फा. सं. एन.सी.-166/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)